

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 172/2021 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी लि. शाखा सी-25, भगवान दास रोड, सेट जेवीयर स्कूल के सामने, सी स्कीम-जयपुर।
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री सुनील माथुर पुत्र श्री हरी शंकर माथुर
2. श्रीमती मोहिता माथुर पत्नी श्री सुनील माथुर

पता :- प्लेट नम्बर एस 2, द्वितीय तल, श्री बालाजी रेजीडेन्सी-3, प्लॉट नम्बर ए-48, सरराइज
सिटी स्कीम, ए ब्लॉक, ग्राम निवारू, कालवाड रोड, जयपुर।
एवं सी-9, हरी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation
and reconstruction of financial assets and
enforcement of security interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 07.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.05.2017 एवं 22.05.2017 को भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी संतोष गौतम पत्नी श्री महावीर गौतम के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर एस 2, द्वितीय पलोर, श्री बालाजी रेजीडेन्सी-3, प्लॉट नम्बर ए-48, सरराइज सिटी स्कीम, ए ब्लॉक, ग्राम निवारू, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 800 वर्गफिट (सुपर विल्ट अप एरिया) को बन्धक कर कुल राशि 60,000/-रूपये एवं 12,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.03.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की

जयपुर
जयपुर

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमवाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित आये तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। आगामी पेशी पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 60,000/- एवं 12,00,000/- रूपये कुल राशि 12,60,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 13,68,170/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.03.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी संतोष गौतम पत्नी श्री महावीर गौतम के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर एस 2, द्वितीय फ्लोर, श्री बालाजी रेजीडेन्सी-3, प्लाट नम्बर ए-48, सरराइज सिटी स्कीम, ए ब्लॉक, ग्राम निवारू, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 800 वर्गफिट (सुपर बिल्ट अप एरिया) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 07.12.2021 को सत्रे इजलास सुनाया गया।



7/12/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर